न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 69/1998

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. बालूराम पुत्र मंगाराम
   जाति-कुमावत, निवासी-निमाज,
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. गोदा पुत्र हरदीन
2. जोरा पुत्र हरदीन
3. माला पुत्र हरदीन
4. लखा पुत्र हरदीन
5. रामा पुत्र हरदीन
6. सायरी बेवा हरदीन
   जातियान-जाट, निवासी-खराडी
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
7. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, ता०रजू: 09/07/1998

उपस्थितः. 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 11/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मोजा खराडी तहसील जैतारण की सीमा में निम्न खसरा नंबर व रकबा की जमीन वाके हैं। खसरा नंबर 809, 663, 929, 984 कुल 4 कुल रकबा 32-11 बीघा किस्म बारानी प्रथम बारानी द्वितीय की आई हुई हैं। उक्त आराजी को इस दावें में सर्वत्र आराजी मुतदाविया के नाम से संबोधित किया जावेगा। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2054 से 2057 साथ पेश हैं। उक्त अर्जी दावा के पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 809 रकबा 11 बीघा 2 बीस्वा जमीन के हकूक खातेदारी वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 तक से जरिये रजिस्टर्ड सैलडीड दिनांक 13/11/97 के खरीद किये हैं। इस बैचान अनुसार बैचान कर्ता प्रतिवादीगण 3 से 6 का 1/3 हिस्सा था वही 1/3 हिस्सा वादी ने खरीद किया। तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 से 2 के रहा। वादी ने जो अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड के खरीद किया है वह नक्शा ट्रैस मे लाल रंग से दर्शाया गया है। नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दावा के साथ पेश की हैं। मौके पर खसरा नंबर 809 की जमीन आपस में मना गना बंटी हुई है। उसी कदर आज भी मौके पर सभी काश्त कर खातेदारी हकूकों का उपयोग करते हैं मगर राजस्व रेकर्ड में उक्त आपसी बंटवाडे का कोई अस्तित्व नहीं हैं। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के द्वारा किये गये बैचान से नाराज होकर वादी के कब्जे काश्त में दखल कर रहे हैं। जबकि वादी ने सद्भावनापूर्वक उक्त आराजी खरीद की हैं। उक्त रजिस्टर्ड बैचान के परिणाम स्वरुप जरिये म्यूटेशन संख्या 952 के वादी के नाम 1/3 हिस्से का अमल दरामद उक्त बैचान कर्ता के स्थान पर खरीददार वादी के पक्ष में किया जा चुका हैं। आराजी मुतदाविया खसरा नंबर 809 राजस्व रेकर्ड में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सभी पक्षकारान के शामलाती दर्ज हैं। प्रति0 संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी होने से वादी के कब्जे काश्त में बदनियतिपूर्वक दखल कर रहे हैं। जिनका इनको कोई भी कानूनी अधिकार नहीं हैं। क्योकि एक खातेदार को अपनी खातेदारी की आराजी के हकूको का उपयोग करने का स्वतंत्र अधिकार हैं, वादी अपने खरीदशुदा आराजी में तारीख 30/06/98 को खड़नी करने गया, तब प्रतिवादीगण ने ऐलानिया वादी को उक्त जमीन में खडनी करने गया, तब प्रतिवादीगण ने ऐलानिया वादी को उक्त जमीन में खडनी करने से मना किया, धमकी दी कि हम बिना बंटवाडा के उक्त जमीन में फसल नहीं बोने देगें। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी की ओर से तकासमा आराजी की दादरसी चाही है इसलिए तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर इस दावें मे आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे भी इस दावें में प्रतिवादी बनाया गया हैं। बिनाय दावा तारीख 30/06/98 को जब वादी अपनी खरीद सुदा आराजी खसरा नंबर 809 के 1/3 हिस्साजो नक्शा ट्रेश में लाल रंग से दर्शाया गया हैं। मै खडनी करने गया, तब बमुकाम-खराडी, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद व अदालत बाला के क्षैत्राधिकार में है।

इस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। परन्तु प्रति0 संख्या 2 व 7 बावजूद इतला अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। वकील प्रति0 संख्या 1 व 3 से 6 ने दिनांक 11/06/03 को ईकबालिया जबाबदावा पेश कर आग्रह किया कि यदि वादी की प्रार्थना माफिक दावा मंजूर की जावें तो हमे एतराज नहीं हैं। वकील वादी ने गवाह पी0डब्ल्यू0-1 बालूराम, पी0डब्ल्यू0-2 बगदाराम के शपथ-पत्र पेश किए हैं, जिन्हें पत्रावलीबद्ध कराया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि वादी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 809 में से 1/3 जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा खरीद किया। तब से लगातार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। परन्तु प्रति0 संख्या 1 व 2 वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। विवादित आराजी मौके पर मना गना आपस में बंटी हुई हैं। परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी शामलाती दर्ज हैं। इसी न्यायालय द्वारा मु0नं0 79/77 निजाम बनाम रामा के निर्णय दिनांक 27/02/2009 द्वारा वादी को उक्त भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया हैं। अतः माफिक वाद वादी का दावा डिक्री फरमावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस सुनी गई। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी प्रदर्श एक के अनुसार वादी विवादित आराजी के 1/3 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार हैं। इसलिए वादी बंटवाड़ा कराने के व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

इस प्रकार माफिक दावा वादीगण ने वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - डिगरना में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। खसरा नंबर 809 रकबा 11-02 बीघा किस्म बारानी प्रथम भूमि स्थित हैं। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा इसी अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौंप कर करावें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 11/07/2015 को ही पेश किया, शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि खसरा नंबर 809 रकबा 11–02 बीघा किस्म बारानी प्रथम का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	बालूराम पुत्र मंगाराम कौम–कुमावत सा0–निमाज खातेदार।	809 809/1	3-00-00 0-14-00	बा0प्र0 बा0प्र0	2.29 रू.
	योग	**2**	**3-14-00**	**बा0प्र0**	**2.29 रू.**
2	पोकरराम पुत्र गोकलराम कौम–कुमावत सा0 देह खातेदार।	809/5	0-18-00	बा0प्र0	0.55 रू.
3	निजाम पुत्र हुसैन सुरमित पत्नि अकबर कौम–लवार सा0 देह खातेदार।	809/3	3-14-00	बा0प्र0	2.29 रू.
4	फकीर मोहम्मद पुत्र सुल्तान कौम–लवार सा0 देह खातेदार।	809/4	1-17-00	बा0प्र0	1.15 रू.
5	गोदा पुत्र हरदीन कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	809/2	0-19-00	बा0प्र0	0.60 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11.07.2015 को आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर–अटल सेवा केन्द्र – डिगरना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अजलास अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

मईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. बालूराम पुत्र मंगाराम
जाति-कुमावत, निवासी-निमाज,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

1. गोदा पुत्र हरदीन
2. जोरा पुत्र हरदीन
3. माला पुत्र हरदीन
4. लखा पुत्र हरदीन
5. रामा पुत्र हरदीन
6. सायरी बेवा हरदीन
जातियान-जाट, निवासी-खराडी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
7. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955,</u>

मु०न० :रा०वा० स०:69/1998

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि खसरा नंबर 809 रकबा 11-02 बीघा किस्म बारानी प्रथम का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	बालूराम पुत्र मंगाराम कौम-कुमावत सा०-निमाज खातेदार।	809 809/1	3-00-00 0-14-00	बा०प्र० बा०प्र०	2.29 रू.
	योग	2	3-14-00	बा०प्र०	2.29 रू.
2	पोकरराम पुत्र गोकलराम कौम-कुमावत सा० देह खातेदार।	809/5	0-18-00	बा०प्र०	0.55 रू.
3	निजाम पुत्र हुसैन सुरगित पत्नि अकबर कौम-लवार सा० देह खातेदार।	809/3	3-14-00	बा०प्र०	2.29 रू.
4	फकीर मोहम्मद पुत्र सुल्तान कौम-लवार सा० देह खातेदार।	809/4	1-17-00	बा०प्र०	1.15 रू.
5	गोदा पुत्र हरदीन कौम-जाट सा० देह खातेदार।	809/2	0-19-00	बा०प्र०	0.60 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 11/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बिरोल पर जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05–00	स्टाम्प वकालतनामा	02–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	/
स्टाम्प वजह सबूत	02–00	महनताना वकील	/
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	02–00	फीस कमीश्नर	/
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	/
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	/
मिजानः–	11–00	मिजानः–	02–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner